

वनभूमि की माँग का औचित्य

1.5

4

परियोजना का नाम :-

चार धाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर
पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 125 (नया 09)
के चम्पावत बाईपास मोटर मार्ग का निर्माण।

उपरोक्त परियोजना की स्वीकृति भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय कार्यालय मुख्य अभियन्ता एवं क्षेत्रीय अधिकारी 46/1 कैनाल रोड जाखन देहरादून के पत्र सं० RO/UK/Chardham/NH-125/Champawat Bypass dated 29-11-2017 के द्वारा 7.870 कि.मी. की प्राप्त हुयी है। जिसकी वास्तविक लम्बाई 10.000 कि.मी. आ रही है। चम्पावत बाईपास का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 125 टनकपुर पिथौरागढ़ मोटर मार्ग के कि.मी. 121.650 से प्रारम्भ कर कि.मी. 129.400 में मिलाया गया है। मोटर मार्ग का समरेखन कहीं-कहीं पर अन्य मोटर मार्गों को कास कर रहा है।

चम्पावत स्टेशन में मोटर मार्ग की चौड़ाई कम होने एवं चम्पावत शहर दोनों ओर घनी आबादी एवं मकान बने हुए हैं, जिस कारण प्रायः जाम की स्थिति बनी रहती है तथा दुर्घटनाएँ होने की संभावना भी बनी रहती है। निकट भविष्य में पंचेश्वर डैम बनने के कारण इस मार्ग से बड़े-बड़े ट्राले एवं डैम से सम्बन्धित सामग्रियाँ लाई एवं लेजाई जा सकती है। मुख्य मार्ग से इन ट्रकों आने-जाने से जाम की स्थिति के साथ-साथ दुर्घटनाएँ होने की संभावना होगी। इन दुर्घटनाओं से बचने के लिए बाईपास का निर्माण किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त स्थिति के मध्येनजर चम्पावत बाईपास का निर्माण किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रीय राज मार्ग अधिनियम 1956 के अनुसार राज मार्ग हेतु चौड़ाई 24 मीटर में भूमि अधिग्रहण किया जाना अति आवश्यक है। जिसकी स्वीकृति भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रदान की गयी है। प्रस्तावित बाईपास में सिविल भूमि 3.720 हे०, वनपंचायत भूमि 3.480 हे०, एवं आरक्षित भूमि 1.200 हे० कुल वन भूमि 8.400 हे० मार्ग के निर्माण में प्रभावित हो रही है तथा विभिन्न स्थलों मलुवा निस्तारण हेतु 0.540 हे० सिविल, आरक्षित एवं वनपंचायत में प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार कुल वनभूमि 8.940 हे० का प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

सहायक अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो० नि० वि०
लोहाघाट

प्रमुख
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत

उपनिवेशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो० नि० वि०
लोहाघाट
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

परियोजना का नाम:— चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 125 (नया 09) के चम्पावत बाईपास मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रारूप-11

वनभूमि की मांग का पूर्ण औचित्य आख्या का प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड राज्य के चम्पावत जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 125 (नया 09) के किमी⁰ 121.650 से 129.400 के बीच चम्पावत बाईपास का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 09 टनकपुर से पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जो तिब्बत एवं चाईना बॉर्डर को जोड़ने का एकमात्र मार्ग है। इस मार्ग से चारधाम यात्रा एवं सीमा सुरक्षा बलों को आवागमन वर्ष भर बना रहता है। साथ ही चम्पावत बाजार में सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण प्रायः यातायात में असुविधा होते रहती है, जिस कारण बाईपास का बनाया जाना अतिआवश्यक है।


जिलाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत


अधिशारी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो०मि०बि०
लोहाघाट